न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः—100/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/100)

1. श्री सोहन पुत्र स्व0 श्री मंगला
2. श्री राजेश पुत्र स्व0 श्री मंगला
3. श्री शंकर पुत्र स्व0 श्री मंगला
4. श्रीमती विश्राम पुत्री स्व0 श्री मंगला
5. श्रीमती सुशीला पुत्री स्व0 श्री मंगला
6. श्रीमती सायरी पत्नी स्व0 श्री मंगला

समस्त जाति भांबी, निवासीगण ग्राम लोहागल, तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती मनकू पत्नी स्व0 श्री सुवा
2. श्रीमती मैना पुत्री स्व0 श्री सुवा **(फौत)**
   2/1 श्री दीपक पुत्र स्व0 श्रीमती मैना
   2/2 श्रीमती किरण पुत्री स्व0 श्रीमती मैना
3. श्री मनोज कुमार पुत्र स्व0 श्री सुवा
4. श्री संजय पुत्र स्व0 श्री सुवा
5. श्री मथुराप्रसाद पुत्र स्व0 श्री छोटू
6. श्री रगेशचंद पुत्र स्व0 श्री श्रवण
7. श्री ज्ञानचंद पुत्र स्व0 श्री श्रवण **(फौत)**
   7/1 श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व0 श्री ज्ञानचंद
   7/2 श्री गोविन्द पुत्र स्व0 श्री ज्ञानचंद
   7/3 सुश्री कुसुम पुत्री स्व0 श्री ज्ञानचंद
8. श्रीमती गीता पुत्री स्व श्रवण
9. श्रीमती सीता पुत्री स्व श्रवण

   समस्त जाति भांबी, निवासीगण ग्राम लोहागल, तहसील व जिला अजमेर।
10. उप—पंजीयक द्वितीय, पंजीयन विभाग, जयपुर रोड़ अजमेर।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.03.2022 राजस्व प्रार्थना संख्या 89/2012

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 10,11.

3. रेस्पोडेंटस संख्या 1, 2/1, 2/2, 3 से 6, 7/1 से 7/3,8,9 अनुपरिथत.

निर्णय

दिनांकः— 12.12.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के प्रकरण संख्या 89/2012 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 के पिता द्वारा ग्राम लोहागल, तहसील व जिला अजमेर अवस्थित साबिक खसरा नम्बर 858 व 859 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 1437 व 1438 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 1198, 1199, 1200, 1201 के बाबत अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट के विरूद्ध राजस्व वाद संख्या 91/2012 व प्रार्थना पत्र संख्या 89/2012 दिनांक 26.04.2012 को उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि उक्त वर्णित भूमियों को प्रकरण के पक्षकारान के पूर्वाधिकारी लालाल पुत्र गोधा द्वारा जरियं पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1959 से क्रय किया जाकर नामान्तकरण संख्या 90 दिनांक 20.04.1962 स्वीकृत होकर पैतृक भूमियॉ रही हैं जिसमें हक–अधिकार व आधिपत्य निहित होने से खातेदार घोषित किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित फरमायी जावें तथा ताफैसला मूल वाद अपीलांट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे। उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/अपीलांट को नोटिस तामिल होने पर प्रकरण के कथनों को अस्वीकार किया तथा प्रार्थीगण/रेसपोडेंट संख्या 1 से 4 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तथा कब्जे के अभाव में निरस्त फरमाए जाने योग्य है। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र सुनी जाकर अपने आदेश दिनांक 28.03.2022 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जाने की आज्ञा पारित कर दी। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 28.03.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंटस संख्या 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7/1 से 7/3, 8, 9 बावजूद सूचना के अनुपरिथत।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थीगण को प्रकरण प्रस्तुती की तिथि एवं उसके पश्चात विवादित भूमि पर विधि सम्मत कब्जा काश्त विद्यमान होना प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, परंतु प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर प्रथम दृष्टया कब्जा काश्त सिद्ध हो इसके उपरांत भी उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2022 के तहत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति के संबंध में आदेश पारित कर दिए गए। प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया सिद्ध किया जाना आवश्यक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

था कि साबिक खसरा नम्बर 858, 859 की भूमि को श्री लाला पुत्र मोधा जाति माली द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1959 से क्रय किया जाकर नामांतकरण संख्या 90 दिनांक 31.12.1962 व उसके आधार पर दर्ज खातेदारी विधि सम्मत है, परन्तु प्रार्थीगण इसमें असफल रहे तथा इसके विपरीत अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 से 6 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.4.1959 की प्रति प्रस्तुत कर पूर्ण रूप से प्रमाणित किया कि उक्त विक्रय पत्र के माध्यम से साबिक खसरा नम्बर 858, 859 क्रय नहीं किया जाकर खसरा नम्बर 855 रकबा 01–10–00 बीघा किस्म बारानी 03 भूमि क्रय की गई है। इस प्रकार पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1959 के विपरीत स्वीकृत नामांतकरण एवं दर्ज खातेदारी विधि विरूद्ध होकर प्रार्थीगण के पक्ष में ना तो किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित होता है तथा ना ही सुविधा का संतुलन विद्यमान करता है। इसके उपरांत भी उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2022 के तहत निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 से 6 पर्चेशुदा खसरा नम्बर 1437 व 1438 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1198, 1199, 1200 व 1201 के अपने पिता स्व0 श्री नाथूलाल के समय से आज दिवस तक बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जिनके प्रथम दृष्टया प्रकरण के अभाव में जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किए जाने में उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2022 के तहत निर्णय पारित कर दिया गया। विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद कारण उत्पन्न होने से 03 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। जबकि मूल वादी स्व0 श्री सुवा व उसके विधिक वारिसान/ रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 को विवादित भूमि अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 के पैतृक खातेदारी एवं आधिपत्य की होना बंटवारानामा दिनांक 16.01.2006 से विधिवत रूप में सही है, जबकि मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2012 को प्रस्तुत किया गया है। जिस विधिक आधार को अपीलांट/अप्रार्थी 06 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तहत प्रस्तुत किया गया। परन्तु उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2022 के तहत निर्णय पारित कर दिया गया। आदेश दिनांक 28.03.2022 की पृष्ठ संख्या 05 के पैरा संख्या 02 में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा रहन–बेचान व हस्तांतरण के संबंध में अपना विवेचन व विश्लेषण उल्लेखित किया गया है, परन्तु अंतिम पैरा में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखे जाने संबंधी आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में संयोजित वादी/प्रार्थी सुवा पुत्र लाला का स्वर्गवास दिनांक 28.09.2013 को होकर दिनांक 24.12.2013 को आवेदन पत्र प्रस्तुत होकर विधिक वारिसान की कार्यवाही सम्पादित हो जाने के उपरांत भी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा मृतक व्यक्ति को भी पक्षकार संयोजित कर आदेश दिनांक 28.3.2013 पारित किए जाने में विधिक त्रुटि कारित किए जाने से निरस्त फरमाए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं–आर0आर0डी0 1997 पेज नम्बर 30, आर0आर0टी0 2021(1) पेज संख्या 01, ए0आई0आर 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज संख्या 2785.

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्राथीगण/रेस्पोडेंट द्वारा मूल अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि उनके पूर्वज लाला पुत्र गोधा द्वारा साबिक खसरा नम्बर 858 व 859 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1959 द्वारा क्रय किया गया जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 90 दिनांक 31.12.1962 स्वीकृत किया जाकर खातेदारी दर्ज कि गई है इस आधार पर उक्त वर्णित भूमि पैतृक होकर हक अधिकार व आधिपत्य निहित करते हैं, परंतु अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1959 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 856 रकबा 1–10–00 बीघा भूमि का उल्लेख किया गया है, विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 858 व 859 का उल्लेख नहीं है, इस कारण पंजीकृत विक्रय पत्र के विपरीत नामांतकरण संख्या 90 दिनांक 31.12.1962 साबिक खसरा नम्बर 858 व 859 के संबध में त्रुटि पूर्ण रूप से स्वीकृत किया जाना प्रथम दृष्टया दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होता है इस कारण प्रार्थीगण/ रेस्पोडेट के पक्ष में प्रथम दृष्टया अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रकरण प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत प्राथीगण/ रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध होना मानकर विधिक त्रुटि कारित की गई है। साथ ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है। अपीलांट/अप्रार्थीगण साबिक खसरा नम्बर 858 व 859 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 1437 व 1438 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 1198, 1199, 1200 व 1201 कायम किए गए हैं के रिकार्डेड खातेदार काविज काश्तकार चले आ रहे हैं, जिसके खण्डन में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे विवादित भूमि पर प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का हक निहित होकर कब्जा काश्त विद्यमान रहा है, इस प्रकार अपीलांट/अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट की तुलना में अत्यधिक अपूर्णीय क्षति भी अपीलांट/अप्रार्थीगण को कारित होगी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के विंदु भी विद्यमान होना मानकर विधिक त्रुटि कारित की है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.3.2022 की पृष्ठ संख्या के अंतिम पृष्ठ की पैरा संख्या 2 में जो विवेचन विश्लेषण किया गया है उसके विपरीत अंतिम पैरा में आदेश पारित किया गया है, जिसे भी विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त विवेचनो के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होने से अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का आदेश दिनांक 28.3.2022 निरस्त किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटरा स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 89/2012

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

में पारित आदेश दिनांक 28.03.2022 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर